राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर–26,एन.आर.आई.सर्किल, पानी की टंकी के पास, प्रतापनगर जयपुर–30203

क्रमांकः प.1/प्रति–ा/शीघ्र लिपिक नियु./2022/ दिनांकः–

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान अधिनस्थ मंत्रालयिक सेवा संवर्ग के चयनित निम्नांकित लिपिक ग्रेड–।। को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत शीघ्रलिपिक के पद पर अस्थायी आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (**Probationer Trainee**) के रूप में नियत पारिश्रमिक 23,700/–प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परिवीक्षाधीन अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर पे–मैट्रिक लेवल **L-10** में अधोलिखित शर्तो पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

S.No.	Rank	Roll No.	Name	Father Name	DOB	CAT	Sel Cat
1	240	160454	GUNJAN SHARMA	SHANKAR KUMAR SHARMA	05-Nov -2000	GEN	A_Gen
2	253	160807	RIYA SAWNANI	GOPAL DAS SAWNANI	16-March-1998	GEN	A_Gen

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्तारकर्ता को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
2. अभ्यर्थी की शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (**Fix Pay**) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित विभाग की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, 06(06) वित्त/नियम/2005 दिनांक 13.03.2006, 01(02) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006, 13 (01) वित्त /नियम/2003 दिनांक 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008, दिनांक 30.10. 2017 के अंतर्गत नियत पारिश्रमिक (**Fix Remuneration**) देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–वार्षिक वेतनवृद्वि, मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चन्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस. एल.पी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगे। गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रं. प.15(01)/ कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
7. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (**Through Proper Channel**) से कार्य मुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्ययीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तोवजो में कोई कमी अन्य दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।

9. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।

10. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नही पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयनबोर्ड से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

11. उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम/विभिन्न न्यायालयों में दायर शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2018 से संबंधित समस्त लंबित याचिकाओं मे होने वाले निर्णयों के अध्ययीन रहेगी।

12. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अटस्टेशन (Attestation) फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरित तथ्य पाये जाने पर राज्य सरकार को चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

13. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हे अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानो की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही है, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानो को एक ईकाई ही माना जावेगा।

14. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा–भत्ता देय नही होगा।

5554-59
28.7.22

(डॉ. रेणू बंसल)
निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन उपसचिव महोदया,प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग सचिवालय,जयपुर।
2. श्रीमान शासन उपसचिव महोदय,आयुष विभाग राज. सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव,राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. श्रीमान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,हिण्डोली जिला बून्दी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
5. अतिरिक्त निदेशक ,कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,सथाना,ब्लॉक मसूदा,अजमेंर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
7. संबंधित अभ्यर्थी.....।
8. कार्यालय की लेखा शाखा/प्रतिष्ठापन शाखा I–II/सांख्यिकी शाखा/ सामान्य शाखा।

(डॉ. रेणू बंसल)
निदेशक